न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी जिला जोधपुर कैम्प बुचेटी
पीठासीन अधिकारी श्रीमती चंचल वर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 78/2013

प्रार्थीनी
श्रीमती मीरा पत्नि रामरख
जाति माली निवासी–
कलावास तहसील–
भोपालगढ
जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण
1 श्रीमती गजरा पत्नि दुर्गाराम, जाति माली
निवासी बिराई तहसील बावडी
2 परमाराम पुत्र जसाराम, जाति माली
निवासी सेवकी कला, तहसील बावडी
3 तहसीलदार बावडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक 08.05.2017

प्रार्थीनी की और से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनिय, 1956 के तहत् इस न्यायालय में दिनांक 29.08.2013 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सेवागांव तहसील बावडी में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 98/2 रकबा 05 बीघा एवं खसरा नंम्बर 97 रकबा 14.16 बीघा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है । प्रार्थीनी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरी गढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29.08.2013 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये । विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया । प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से यह बात निःसंदेह है कि प्रार्थीनी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थर गढी कराने की अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा नं किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है ।

अतः इनत तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थीनी स्वीकार योग्य है ।

आदेश

प्रार्थीनी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार बावडी ग्राम सेवागांव तहसील बावडी स्थित प्रार्थीनी की खाते की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 98/2

उपखण्ड अधिकारी व उप जिला मजिस्ट्रेट • बावडी •
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner